संख्या-4805/1-10-2007-12(36)/2003टी0सी0

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट,
बाँदा, हमीरपुर, मिर्जापुर व सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 2007

विषयः- वित्तीय वर्ष 2007-08 में सूखे से प्रभावित जनपदों में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3049/1-11-2007-84/2006 दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 द्वारा जनपद ललितपुर तथा शासनादेश संख्या-2940/1-11-2007-84/2006, दिनांक 12 सितम्बर, 2007 द्वारा जनपद सोनभद्र/महोबा/चित्रकूट/मिर्जापुर/हमीरपुर/बाँदा/झाँसी/जालौन को सूखाग्रस्त जनपद घोषित किया गया है, सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ऐसे जनपदों में ग्रामों में कतिपय ऐसे निराश्रित व असहाय व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्हें तात्कालिक रूप से खाद्यान्न की आवश्यकता हो। सूखे से प्रभावित ऐसे व्यक्तियों को आपदा राहत निधि से सहायता दिए जाने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि किसी व्यक्ति के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूखे से प्रभावित जनपदों में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को सी0आर0एफ0 गाइडलाइन्स के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराये जाने की व्यवस्था है। कतिपय जनपदों में आपदा राहत निधि से आबंटित धनराशि में से सूखे से प्रभावित प्रत्येक ग्राम में खाद्यान्न बैंक की स्थापना कर ग्राम के कोटेदार के पास दो कुन्तल खाद्यान्न संचित रखा गया है, जिसमें से उपरोक्त श्रेणी के निराश्रित व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है।

उपरोक्त व्यवस्था के अनुश्रवण हेतु ग्राम स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिनमें ग्राम प्रधान व ग्राम स्तरीय अधिकारियों को रखा गया है एवं सम्बन्धित लेखपाल को इसके समन्वय का दायित्व दिया गया है।

कृपया उपरोक्त प्रकार की ग्राम स्तरीय खाद्य आपूर्ति व्यवस्था के अपने जनपदों में आवश्यकतानुसार लागू करने पर विचार कर लें एवं सूखे से प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर पर लागू की गई व्यवस्था से शासन को अवगत भी करायें

कृपया इस बात का अनुश्रवण कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए कि सूखे प्रभावित सभी जरूरतमंद निराश्रित/पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न की सुविधा मिल सके। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस व्यवस्था का कोई दुरूपयोग न हो सके।

3. खाद्यान्न वितरण पर व्यय हुई धनराशि आपदा राहत निधि से वहन किया जाएगा। उक्त व्यय धनराशि की सूचना प्रति सप्ताह शासन को भी उपलब्ध कराया जाए।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)
सचिव एवं राहत आयुक्त